निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 29 / 04 दावा
दायरा दिनांक :— 19.04.2004
निर्णय दिनांक :— 13.09.2021

उनवान

रामप्रताप पुत्र श्री दल्ला जाति माली निवासी कल्याणपुरा तहसील बारां जिला बारां (राज.)

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र श्री दल्ला जाति माली निवासी पी. डब्ल्यू. आई. के बंगले के पीछे परमहंस जी के मंदिर के पास तेल फेक्ट्री बाबजी नगर रोड बारां तहसील बारां जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 13.09.2021

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री आलोक गोयल एडवोकेट — वादी
2 श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील बारां के. माल मे आराजी खसरा नंबर 257 रकबा 1.22 हेक्टर पुराने खाते के अनुसार वादी व प्रतिवादी के पिता दल्ला जी ने कजोड से खरीद की थी, इस आराजी पर वादी व प्रतिवादी मोतीलाल के 1/2, 1/2 हिस्से में व ह कमे था। दलला जी की मृत्यु पर कर्त्ता खानदान प्रतिवादी मोतीलाल बड़ा भाई हुआ। उसके छल पूर्वक वादी की असहायता, गरीबी व अज्ञानता का लाभ उठाकर छल पूर्वक आराजी अपने नाम करा ली। जबकि यह आराजी दोनो के ही समान हिस्से में दर्ज होना चाहिये था, क्योकि यह आराजी दल्ला जी ने द्रोनो भाईयो के लिये अपनी स्वअर्जित [illegible] थी। इस आराजी पर दल्ला जी के जीवन काल तक स्वयं दल्ला जी व उनकी [illegible] पश्चात आधे हस्से पर प्रतिवादी व आधे हिस्से पर वादी काबिज चला आ [illegible] 05.10.1986 को इकरार नामा लिखकर इस आराजी पर अर्थात् आधे हिस्से [illegible] हक स्वीकार [illegible] है। इस प्रकार वादी आराजी खसरा नंबर 257 का 1/2 हिस्सा 0.6[illegible] हेक्टयर की खातेद[illegible] कर सकने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

का खातेदारी मे दर्ज करा पाने व इसी प्रकार बटवारा करा सकने का अधिकारी है। सन् 1986 के बाद से अभी तक वादी मौखिक समझोते के आधार पर उक्त आराजी के पश्चिमी तरफ के 1/2 हिस्से के रूप में 3 बीघा 11 बिस्वा यानि 0.57 हेक्टयर रकबे पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान मे पानी के अभाव मे वादी के कब्जे का उक्त रकबा 2 वर्ष से पडत पड़ा हुआ है। उक्त खसरा नंबर 257 रकबा 1.22 हेक्टयर का सम्पूर्ण रकबा वर्तमान मे प्रतिवादी के खातेदारी मे होने के कारण प्रतिवादी उक्त आराजी के पश्चिमी हिस्से के 0.57 हेक्टयर रकबा जो वादी के कब्जे मे चला आ रहा है, को अन्य व्यक्तियों को बेचने पर आमादा है। वादी को इस बात की जानकारी श्री राजकिशोर जी गोड अध्यापक से दिनांक 17.05.2003 को हुयी। वादी आराजी खसरा नंबर 257 रकबा 1.22 हेक्टयर के पश्चिमी तरफ के 3.11 अर्थात 0.57 हेक्टयर रकबे पर 12 वर्ष से अधिक अवधि से काबिज चला आ रहा है। इस आधार पर वादी उक्त रकबे को अपने खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी हो गया है। प्रतिवादी ने वादी के कब्जे मे चले आ रहे, उक्त रकबे का बेचान कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत कर रहा है। वाद कारण दिनांक 17.05.2003 को वादी को उक्त आराजी के बेचान किये जाने की जानकारी होने पर बमुकाम बारां मे उत्पन्न हुआ। वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल गिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57, नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत् 2034–37, नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत् 2050–53, खाता संख्या 88 नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 83 नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याण सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 99, नकल डिक्री दिनांक 14.02.1995, नकल निर्णय दिनांक 14.02.1995, फोटो प्रति इकरार नामा पेश की गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 रामप्रताप, पी.डब्ल्यू 2 चन्द्रकान्ती, पी. डब्ल्यू 3 प्रभूलाल, पी.डब्ल्यू 4 बाबूलाल के बयान कराये गये। साक्ष्य प्रतिवादी मे डी.डब्ल्यू 1 मोतीलाल, डी.डब्ल्यू 2 राजू के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

<u>तनकी नंबर 1 :–</u> आया कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नंबर 257 रकबा 1.22 हेक्टयर प्रतिवादी 1 के खातेदारी मे दर्ज है। वादी व प्रतिवादी 1 दोनो सगे भाई है। दिनांक 05.10.1986 को वादी व प्रतिवादी तथा श्री किशनपुत्र मन्नालाल ने आपसी सहमति से एक इकरार नामा 5 रू. स्टाम्प पर तहरीर करवाकर गवाही गवाहान भाई उक्त इकरार नामा मे प्रतिवादी मोतीलाल ने खसरा नंबर 257 के रकबा 1.22 हेक्टयर मे से 3 बीघा अर्थात 0.57 हेक्टयर का रकबा वादी रामप्रताप के स्वामित्व मे कब्जा समलाया था, तभी से वादी उस पर काबिज काश्त चला आ रहा है, [illegible] समय होने से खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है।

वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

तनकी नंबर 2 :– आया कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादी के मन मे बध्यान्ति आ जाने से उसे रहन बेचान करने को अमादा है। प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

वादी

तनकी नंबर 3 :– आया कि विवादित आराजी प्रतिवादी मोतीलाल के स्वअर्जित कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी चारो ओर से आबादी मे घिर जाने से मोतीलाल ने इकरार नामा 24.05.2003 से उक्त आराजी मे से 0.98 हेक्टयर आराजी गणेश सैन, विरेन्द्र सैन, सुरेश चतुर्वेदी, बाबूसिंह चोहान बलिम भाई, विष्णु गर्ग, नरेन्द्र शर्मा, माजिद, मुकेश को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। क्रेतागण इस वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार है। वाद मे पक्षकारो के असहयोग का दोष होने से वाद निरस्तनीय है।

प्रतिवादी

तनकी नंबर 4 :– आया कि वादी व प्रतिवादी के मध्य इस आराजी के सम्बन्ध मे चले पूर्व विवाद वाद संख्या 261/88 व विभाजन के बाद मे हुये निर्णय व डिक्री के तथ्यो को छुपाकर व कूट रचित कथित मिथ्या दावा पेश 05.10.1986 को आधार बनाकर धोखादडी से वाद पेश किया है, जो निरस्तनिय है।

प्रतिवादी

तनकी नंबर 5 :– आया कि प्रतिवादी ने वादी व उसकी पत्नी के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर बारां में धारा 188, 212 आर.टी.एक्ट के दावा प्रार्थना–पत्र पेश किया जो निर्णय 14.02.1995 को प्रतिवादी के हक मे डिक्री हुआ था, तथा विवादित आराजी मे वादी को दखल अंदाजी नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है, जो आज भी प्रभावी है। वादी का वाद खारिज योग्य है।

प्रतिवादी

तनकी नंबर 6 :– आया कि कूटरचित दस्तावेज 5.10.1986 का पूर्व वाद संख्या 261/88 का लिखित कथन में कही हवाला नही है, और न ही वादी का 0.57 हेक्टयर भूमि पर कभी कब्जा रहा। प्रतिवादी की आराजी हड़पने के लिये कूटरचित दस्तावेज की रचना की है। वादी द्वारा प्रतिफल कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही है, व निरस्तनीय है।

प्रतिवादी

तनकी नंबर 7 :– आया कि वादी ने पूर्व निर्णित वाद 261/88 के पश्चात् इस वाद पत्र के पहले एक वाद व स्टे प्रार्थना–पत्र 20.05.2002 को प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया था। प्रतिवादी मोतीलाल द्वारा 150000/–रू. बिना ब्याज वादी को उधार देने पर वादी व उसकी पत्नी चन्द्रकान्ता ने 100/–रू. स्टाम्प पर प्रतिवादी के पक्ष मे मे राजीनामा नोटेरी के समक्ष 28.05.2003 को निष्पादित कर दिया और अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा को वाद निरस्त कराने हेतु अधिकृत कर दिनांक 25.08.2004 को वाद निरस्त कर दिया। वादी वाद पत्र संख्या 261/88 व राजीनामा दिनांक 25.05.2003 के विरूद्ध कोई भी दावा पेश करने से वंचित है। दावा निरस्तनीय है।

प्रतिवादी

तनकी नंबर 8 :– अनुतोष

तनकी नंबर 9 :– आया कि विवादित आराजी को [illegible] के पिता दल्ला जी ने कजोड से 1500/–रू. मे क्रय की थी। दल्ला [illegible] काश्त रहे, उनकी मृत्यु पर प्रतिवादी ने छल पूर्वक अपने नाम कर[illegible] के समान हिस्से दर्ज होने चाहिये था, वादी 1/2 की घोषणा कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील बारां मे स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती की भूमि है। प्रतिवादी ने छल कपट पूर्वक अपने नाम करा ली है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का आधी आधी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी नौकरी मे था। वादी व प्रतिवादी के 1/2, 1/2 हिस्सा किये हुये है। खसरा नंबर 257 का आधा रकबा वादी के कब्जे काश्त मे चला आ रहा है। मैने दो गवाहो के बयान कराये है। बाबूलाल प्रभूलाल के बयानो का जिक्र किया गया है। पूर्व का दावा केवल धारा 188 आर.टी.एक्ट का था। इकरार नामा तीनो की सहमति से गवाहो की उपस्थिति में लिखवाया गया था। वादी का 12 वर्ष से अधिक समय से 3.11 बीघा यानि 0.57 हेक्टयर भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी अपने हिस्से की भूमि को एडवर्स पजेशन के आधार पर एवं पिता की खातेदारी होने के कारण अपना हिस्सा दर्ज करने का अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील प्रतिवादी का कथन है, कि खसरा नंबर 257 मोतीलाल ने क्रय किया था। विवादित आराजी पर मोतीलाल का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा प्रतिवादी मोतीलाल के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। मोतीलाल ने पूर्व में एक दावा धारा 188 आर. टी.एक्ट का वादी के विरूद्ध पेश किय गया था। वादी प्रतिवादी की भूमि पर दखल अंदाजी नही करने बाबत् पाबन्द किया गया था। वादी रामप्रताप द्वारा सम्पत्ति पैत्रिक बताई गई है। भूमि क्रय करना अलग व्यक्तियो से बताया गया है। वादी को धारा 188 आर.टी.एक्ट मे पहले भी पाबन्द किया जा चुका है। वादी द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति साबित करने का ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। रामप्रताप नोकरी मे था, मोतीलाल ने भूमि क्रय की थी, इस भूमि के लगवा पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसका बटवारा नही हो रहा है। पैत्रिक मे भी मेरा हिस्सा है। रामप्रताप ने बयानो का जिक्र किया है। मोतीलाल के नाम भूमि गलत दर्ज होने व इन्तकाल गलत खुलने से वादी को नामन्तकरण की अपील करनी चाहिये थी, जो नही की गई। देवलाल व कल्लोड से क्रय करना बताया जा रहा है, कौनसी व किस प्रकार की भूमि खरीदी जिक्र नही किया है। जो भूमि वर्ष 2005 मे बेचान की गई है, उसमे आबादी बसी हुयी है। एडवर्स पजेशन के आधार पर दावा किया है। कब्जे बाबत भी कोई रिकार्ड पेश नही किया है। वादी द्वारा शामलाती की भूमि होना बताया है, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज नही पेश किया, जिससे यह साबित हो, कि यह भूमि शामलाती भूमि है। इसके आधार पर पहले भी इनके राईडस खारिज हो चुके है। वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जावे। दावे के बिन्दु पूर्व मे भी इनके विरूद्ध निर्णित हो चुके है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। वादी के वाद का तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नंबर 1 :— इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038—57 ग्राम कल्याणपुरा नकल जो ग्राम कल्याणपुरा सम्वत्

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

2034-37, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050-53, नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत् 2050-53 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058-61, नकल डिक्री दिनांक 14.02.1995, नकल निर्णय दिनांक 14.02.1995, के अनुसार विवादित आराजी कन्हैयालाल पुत्र देवलाल के खातो में सम्वत् 2034-37 मे दर्ज थी। सम्वत् 2050-53 मोतीलाल पुत्र दल्ला के खातेदारी में दर्ज थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058-61 खाता संख्या 99 मोतीलाल पुत्र दल्ला के खातेदारी में दर्ज थी। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी पहले कन्हैयालाल पुत्र देवलाल धाकड के खातेदारी में थी। परन्तु सम्वत् 2050-53 से प्रतिवादी मोतीलाल पुत्र दल्ला जाति माली के खातेदारी मे चली आ रही है। उक्त विवादित आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज नही है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादी द्वारा कब्जे बाबत् भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे विवादित आराजी पर वादी का कब्जा साबित हो सके। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 2 :- इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। विवादित आराजी प्रतिवादी मोतीलाल के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बेचान करने के लिए स्वतंत्र है। वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जाती सकती, क्योकि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। वादी द्वारा कब्जे बाबत् व शामलाती खातेदारी का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 3 :- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी का था। प्रस्तुत नकल राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी से यह साबित होता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नंबर 257 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि प्रतिवादी की स्वअर्जित आराजी है। वादी द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति बाबत् ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे विवादित आराजी पैत्रिक साबित हो सके। प्रतिवादी द्वारा अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी मे से कुछ भूमि का बेचान कर दिया गया है। क्योकि प्रतिवादी की स्वअर्जित आराजी होने के कारण अपने खातेदारी की भूमि का बेचान करने के लिए स्वतंत्र है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 4 :- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। प्रस्तुत नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.1995 के अनुसार मोतीलाल पुत्र दल्ला जाति माली द्वारा रामप्रताप आत्मज दल्ला के विरूद्ध सहायक कलक्टर बारां के यहां प्रकरण संख्या 261/88 दाना धारा 188 आर.टी.एक्ट का पेश किया गया, जिसमें प्रतिवादी रामप्रताप को स्थायी निषेधाज्ञा से खसरा नंबर 257 रकबा 1.22 हेक्टर पर वादी मोतीलाल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करने हेतु पाबन्द किया गया। इससे यह साबित होता है, कि प्रतिवादी मोतीलाल द्वारा पूर्व मे भी एकवाद प्रस्तुत कर वादी रामप्रताप को विवादित भूमि पर दखल अंदाजी नही करने बाबत् पाबन्द किया गया। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

तनकी नंबर 5 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। इस तनकी से सम्बन्धित **तनकी नंबर 4** मे वर्णन किया जा चुका है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 6 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नंबर 257 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि पर वादी रामप्रताप का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वादी द्वारा कूटरचित तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा पूर्व मे वादी के विरूद्ध हुये वाद पत्र का कही भी कोई हवाला वाद पत्र मे नही दिया है। वादी 0.57 हेक्टर भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा, और न ही वादी द्वार कब्जा बाबत कोई लिखित दस्तावेज या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है, जिससे वादी का विवादित आराजी पर कब्जा साबित हो सके। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 7 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। पूर्व वाद संख्या 261/88 एव प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. दिनांक 20.05.2002 को प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया था। प्रतिवादी मोतीलाल द्वारा 1, 50, ·000/–रू. बिना ब्याज वादी को उधार देने पर 100/ रू के स्टाम्प पर प्रतिवादी के पक्ष मे राजीनामा नोटेरी के समक्ष दिनांक 28.05.2003 को निष्पादित कर दिया। राजीनामा के विरूद्ध. कोई भी दावा लाने से बाधित है। पूर्व मे हुये राजीनामा के बाद वादी किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही था, और न ही वादी किसी प्रकार का कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादित भूमि प्रतिवादी के खातेदारी मे होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 8 :– अनुतोष।

तनकी नंबर 9 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। वादी द्वारा विवादित भूमि से सम्बन्धित ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, जिससे यह साबित हो सके, कि विवादित भूमि वादी के पिता दल्ला द्वारा 1500/–रू. मे क्रय की गई थी। दल्ला जी की मृत्यु के बाद विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी के खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिये थी, परन्तु पैत्रिक सम्पत्ति नही होने के कारण वादी के खातेदारी मे दर्ज नही की जा सकती क्योकि उक्त भूमि प्रतिवादी द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिस पर प्रतिवादी का ही अधिकार है। वादी द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण वादी 1/2 हिस्से की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयों के निरतारण से यह तथ्य सामने आते है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नंबर 257 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति है। वादी द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति व पिता दल्ला द्वारा क्रय करने से सम्बन्धित ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिससे विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति या पिता दल्ला द्वारा क्रय किया जाना साबित हो सके। वादी द्वारा विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति साबित करने या पिता दल्ला द्वारा क्रय किया जाना साबित करने मे विफल रहे है। वादी का वाद ... से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 29/2004	धारा अन्तर्गत 88,89,90,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 13.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– ओमप्रकाष मेहता II	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री हरिओम चतुर्वेदी	

वाद शीर्षक

उनवान

रामप्रताप पुत्र श्री दल्ला जाति माली निवासी कल्याणपुरा तहसील बारां जिला बारां (राज.)

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र श्री दल्ला जाति माली निवासी पी. डब्ल्यू आई. के बंगले के पीछे परमहंस जी के मंदिर के पास तेल फेक्ट्री बाबजी नगर रोड बारां तहसील बारां जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से ख़ारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 13.09.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां
उप खण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner